संख्या-2/2021/325/84-03-2021

प्रेषक,

विनोद कुमार,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,

उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,

जवाहर भवन,लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-3 लखनऊ:ः दिनांक अप्रैल,2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष-2075-विविध सामान्य सेवायें-800 अन्य व्यय-04, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत संस्था/बॉडी शापिंग में कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय हेतु वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू0 1798.82 लाख (रूपये सत्रह करोड अठठानबे लाख बयासी हजार मात्र) श्री राज्यपाल महोदया आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नही किया जायेगा, ताकि राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

(4) आय-व्ययक में प्राविधानित राशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) अधिशासी निदेशक/वित्त अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होगें कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इसलिये अधिशासी निदेशक/वित्त अधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर की सम्भावना मालूम पडे तो उसे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

तत्काल वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाय।

(6) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहारण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(7) जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय उसमें स्पष्ट रूप से सही लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड सहित) के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख अवश्य किया जाय।

(8) उक्त अनुदान से संबधित बिल प्रत्येक माह के वास्तविक व्यय विवरण के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-3 का कार्य देख रहे यथास्थिति विशेष सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष-2075-विविध सामान्य सेवायें-800 अन्य व्यय-04-उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च,2021 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/2021/325/84-3-2021,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक खाद्य एवं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1/खाद्य तथा रसद अनुभाग-3।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।